न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 39 / 2021

1 रोहिताश पुत्र बंशी
2 भागीरथ पुत्र बंशी
3 बेगराज पुत्र बंशी
4 हरीराम पुत्र बंशी
5 बिमला पुत्री बंशी
6 सुमन पुत्री बंशी
7 तीजा पुत्री भगवाना जाति समस्त गुर्जर निवासी दुधवा नांगलिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 गुरूदयाल पुत्र भातिया
2 मनोहर पुत्र भातिया
3 शिशराम पुत्र भातिया
जाति समस्त गुर्जर निवासी दुधवा नांगलिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
4 नथुसिंह पुत्र भगवाना
5 मंजु पुत्री भगवाना
6 सरोज पुत्री ग्यारसा
7 निहाली देवी स्त्री हनुमाना
8 मनेश पुत्री हनुमाना
9 संतरा उर्फ लिला पुत्री बंशी
10 रामसिंह पुत्र फुलाराम
11 रामभाई स्त्री स्व. भगवाना
12 कैलाश चन्द्र पुत्र स्व. भगवाना

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13 संतोष पुत्री स्व. भगवाना
14 सुमित्रा स्त्री स्व. ग्यारसा
15 सुनिल पुत्र स्व. ग्यारसा
16 सुमन पुत्री स्व. ग्यारसा
17 राजवीर पुत्र स्व. रामेश्वर
18 सुखवीर पुत्र स्व. रामेश्वर
19 सत्यवीर पुत्र स्व. रामेश्वर
20 इन्द्राज सिंह पुत्र बीरबल
21 मूर्ति पुत्री स्व. रामेश्वर
22 सुशीला पुत्री स्व. रामेश्वर
23 संतोष पुत्री स्व. रामेश्वर
24 छोटेलाल पुत्र बंशी
25 ग्यारसी पुत्री बंशी
26 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
27 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांकित 08.09.2020 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी जिला झुन्झुनू पीठासीन अधिकारी शिवपाल जाट आरएएस मुकदमा उनवानी प्रतादेवी बनाम पुला देवी वगै. मु.नं. 251/2004 दावा बाबत घोषणा एवं बंटवारा

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 19.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 251/2004 में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 668 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 711 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 714 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 716 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 717 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 719 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1111 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1157 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1214 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1216 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1221 रकबा 0. 29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1222 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1223 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1228 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1238 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1245 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 718 रकबा 0.37 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम दुदवा पटवार हल्का दुधवा नांगलिया तहत तहसील खेतड़ी में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 व मृतका प्रतादेवी ने विचारण न्यायालय के समक्ष घोषणा व बंटवारा का वाद पत्र पेश किया उक्त वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.06.2009 को निर्णय पारित कर प्राथमिक रूप से डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

कर दिनांक 08.09.2020 को अन्तिम रूप से निर्णित कर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांकित 11.06.2009 में लिखा है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार खेतड़ी उक्त जमीन के विभाजन प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करें। विचारण न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार खेतड़ी जमीन के मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव नहीं बनाये। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.04.2019 को पटवारी हल्का ने बनाये है। कानून से पटवारी हल्का को विभाजन प्रस्ताव बनाने का अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 व परतादेवी ने विचारण न्यायालय के समक्ष जो दावा पेश किया उसमें विशेष रूप से यह नहीं लिखा कि उनका कब्जा काश्त कौनसे खसरा नम्बर पर है व कितनी जमीन पर है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 व परतादेवी ने दावा में विवादित जमीन में अपना शामलाती 1/3 हक हिस्सा बतलाकर दावा की मद संख्या 11 क में सिर्फ यह लिखा है कि उनके 1/3 हक हिस्से की जमीन का अलग से विभाजन किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक सहखातेदार के मध्य जमीन का बंटवारा हक हिस्सा के मुताबिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस रूप से किया जावे। विभाजन के समय कम उपजाऊ व अधिक उपजाऊ एवं कीमत के हिसाब से प्रत्येक सहखातेदार को बराबर दी जावें एवं प्रत्येक खातेदार के हिस्से तक पहुचने के लिये रास्ता की व्यवस्था की जाने एवं विभाजन पक्षकारान की मौजुदगी में किया जावे आपत्ति हो तो विभाजन प्रस्ताव में लिखी जावें। विभाजन प्रस्ताव के नीचे पटवारी हल्का ने नोट अंकित किया है ' कि वादीगण का मौके पर कब्जा खसरा नम्बर 668 रकबा 0.91 हैक्टेयर में कब्जा है जबकि वादीगण ने बताया कि खसरा नम्बर 1221, 1222, 1238 पर अन्य प्रतिवादीगण का कब्जा है'

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त नोट के अंकन के बावजुद भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 को विभाजन में खसरा नम्बर 717, 1111, 1221, 1222, 1238 खसरा नम्बर की जमीन विभाजन में दी गई है। विभाजन प्रस्ताव में उक्त नोट के अंकन के बावजुद भी पटवारी हल्का ने प्रभावित/अपीलान्टस की गैर मौजुदगी में विभाजन प्रस्ताव बनाये है। कानून से सभी खातेदारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव बनाना चाहिये था। विचाराधीन निर्णय व डिक्री मृत व्यक्तियों के विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है। विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित होने से पूर्व प्रतिवादी फुलाराम, भगवाना, ग्यारसा व हनुमान तथा बंशी का देहान्त हो चुका था। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने मृतक प्रतिवादीगण के जायज वारिसान के रूप में कायम मुकाम पक्षकार नहीं बनाया इस प्रकार विचाराधीन निर्णय व डिक्री मृत व्यक्तियों के विरूद्ध होने से शुन्य एवं खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष कुछ प्रतिवादीगण के द्वारा जवाब दावा पेश किया उसकी मद संख्या 14 में यह उपर है कि रिकार्ड में दर्ज लड़कियों को पक्षकार दावा नहीं बनाया तथा दावा दायरी के बाद जिन खातेदारों की मृत्यु हुई है उनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया। अपीलान्टस अपने हक हिस्से की जमीन पर काबिज काश्त है। इस कारण अपीलान्ट को विचाराधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील किये जाने की ईजाजत दिया जाना न्यायोचित है ईजाजत हेतु अपील के साथ 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जाता है।

पीठासीन अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांकित 11.06.2009 में लिखा है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार खेतड़ी उक्त जमीन के विभाजन प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करें। विचारण न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार खेतड़ी जमीन के मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव नहीं बनाये। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.04.2019 को पटवारी हल्का ने बनाये है। कानून से पटवारी हल्का को विभाजन प्रस्ताव बनाने का अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 व परतादेवी ने विचारण न्यायालय के समक्ष जो दावा पेश किया उसमें विशेष रूप से यह नहीं लिखा कि उनका कब्जा काश्त कौनसे खसरा नम्बर पर है व कितनी जमीन पर है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 व परतादेवी ने दावा में विवादित जमीन में अपना शामलाती 1/3 हक हिस्सा बतलाकर दावा की मद संख्या 11 क में सिर्फ यह लिखा है कि उनके 1/3 हक हिस्से की जमीन का अलग से विभाजन किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक सहखातेदार के मध्य जमीन का बंटवारा हक हिस्सा के मुताबिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस रूप से किया जावे। विभाजन के समय कम उपजाऊ व अधिक उपजाऊ एवं कीमत के हिसाब से प्रत्येक सहखातेदार को बराबर दी जावें एवं प्रत्येक खातेदार के हिस्से तक पहुचने के लिये रास्ता की व्यवस्था की जाने एवं विभाजन पक्षकारान की मौजुदगी में किया जावे आपत्ति हो तो विभाजन प्रस्ताव में लिखी जावें। विभाजन प्रस्ताव के नीचे पटवारी हल्का ने नोट अंकित किया है ' कि वादीगण का मौके पर कब्जा खसरा नम्बर 668 रकबा 0.91 हैक्टेयर में कब्जा है जबकि वादीगण ने बताया कि खसरा नम्बर 1221, 1222, 1238 पर अन्य प्रतिवादीगण का कब्जा है' उपरोक्त नोट के अंकन के बावजुद भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 को विभाजन में खसरा नम्बर 717, 1111, 1221, 1222, 1238 खसरा नम्बर की जमीन विभाजन में दी गई है। विभाजन प्रस्ताव में उक्त नोट के अंकन के बावजुद भी पटवारी हल्का ने प्रभावित/अपीलान्टस की गैर मौजुदगी में विभाजन प्रस्ताव बनाये है।

अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

कानून से सभी खातेदारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव बनाना चाहिये था। विचाराधीन निर्णय व डिक्री मृत व्यक्तियों के विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है। विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित होने से पूर्व प्रतिवादी फुलाराम, भगवाना, ग्यारसा व हनुमान तथा बंशी का देहान्त हो चुका था। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने मृतक प्रतिवादीगण के जायज वारिसान के रूप में कायम मुकाम पक्षकार नहीं बनाया इस प्रकार विचाराधीन निर्णय व डिक्री मृत व्यक्तियों के विरूद्ध होने से शुन्य एवं खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष कुछ प्रतिवादीगण के द्वारा जवाब दावा पेश किया उसकी मद संख्या 14 में यह उपर है कि रिकार्ड में दर्ज लड़कियों को पक्षकार दावा नहीं बनाया तथा दावा दायरी के बाद जिन खातेदारों की मृत्यु हुई है उनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 19.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर